



Neutral Citation No.2026:AHC:1687

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-44127 वर्ष 2025

राम लाल आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: हिंच लाल पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, विपिन चंद्र पांडे

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री हिंच लाल पांडे और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री विपिन चंद्र पांडे के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-09 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 103(1), 109(1), 352, 3(5) के तहत, थाना-बसौनी, ज़िला: आगरा के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने तीन अन्य सह-अभियुक्तों, सूरज, अमरचंद और कुमारी लिलो के साथ 8.3.2025 को रात 09:00 बजे सूचनाकर्ता के दो बेटों पर हमला किया और उन्हें घायल किया।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। आवेदक की भूमिका अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों से अलग है।



6. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि घायल रामवीर ने आवेदक को कोई भूमिका नहीं सौंपी है, बल्कि उसने सह-आरोपी सूरज और अमरचंद को भूमिका सौंपी है। यहां तक कि चश्मदीद गवाह ने भी आवेदक को उपदेश की भूमिका सौंपी है, इस प्रकार, वह जमानत का हकदार है।

7. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 12.03.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

8. तत्स्य विपरीत, सूचनाकर्ता के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता और अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और आवेदक की भूमिका को अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला लगता है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदक- राम लाल, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 5, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)